

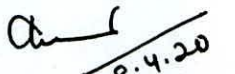
उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5,
संख्या-806/पांच-5-2020
लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2020
कार्यालय-ज्ञाप
विज्ञप्ति

कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को **फेस कवर (मास्क)** पहनना आवश्यक बताया गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में एतद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय **फेस कवर (मास्क)** पहनना अनिवार्य किया जाता है।

2- इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ "फेस कवर" / मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाए।

3- एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है।

4- बिना फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।


8.4.20
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या- 806(1)/ पांच-5-2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**प्राणेश चन्द्र शुक्ल**)
उप सचिव।